कार्यालय वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(दूरभाष/फैक्स सं0– 05942–235452, ई–मेल–cf_skumaon@rediffmail.com
पत्र संख्या–108 /12–1 दिनांक, 20 जुलाई ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में पोखरी मेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (प्रस्ताव संख्या 11762/2015)

संदर्भ:– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक– 115/13–पोखरी दिनांक–11.07.2022.

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव पर संदर्भित पत्र के माध्यम से 06 बिन्दुओं पर लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>आपत्ति के बिन्दु</th><th>निराकरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रस्ताव में 02 गांवो को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिसकी जनसंख्या 319 है, किन्तु ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल में गांवों की स्थिति अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि डिजिटल मानचित्र पर Alignment में अंकित बिन्दु 16 एवं 29 पर गांव जुड़ जा रहा है फिर भी प्रस्तावित मार्ग को अनावश्यक रूप से बिन्दु 46 तक बढ़ाया गया है। अतः राज्य सरकार उचित स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।</td><td>प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल में गांवों की स्थिति अंकित कर ली गयी है। एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग पोखरी मेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। यह मार्ग उन्यूड़ा, धौणा, गुठोली को जोड़ते हुए पौराणिक शिव मंदिर कपिलेश्वर के निकट समाप्त होता है। यह स्थान निकटवर्ती ग्रामवासियों का आस्था का केन्द्र है एवं इसी स्थान पर शमसान घाट भी स्थित है। धार्मिक आस्था का केन्द्र होने के कारण यह मार्ग बनाया जाना अतिआवश्यकीय है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया cost benefit analysis सभी बिन्दुओं का आंकलन/गणना प्रस्तुत नहीं करता है। इसके अतिरिक्त नई Guideline के अनुसार prescribed format में C/B analysis प्रेषित करने का कष्ट करें।</td><td>प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट 1 के जी0 सैक्शन में अपलोड कर लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राज्य सरकार द्वारा दिया गया enumeration 9 मीटर चौड़ाई पर प्रस्तुत किया गया है जो कि 7 मीटर चौड़ाई पर दिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त online portal पर राज्य सरकार द्वारा 0–30 girth class को अंकित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है, कि वह online part 11 के para 4 पर saplings को भी अंकित करने का कष्ट करें।</td><td>प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षें की गणना 7 मीटर चौड़ाई में करा ली गयी है, जिसकी प्रविष्टि भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रकरण में अत्यधिक संख्या में वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह तीन वैकल्पिक समरेखणों का परीक्षण कर उनसे सम्बन्धित समस्त विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। साथ ही उपलब्ध रोड नेटवर्क भी के0एम0एल0 फाईल पर दर्शाने का कष्ट करें।</td><td>प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के अतिरिक्त तीन अन्य वैकल्पिक समरेखणों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–
<table>
<tr><th></th><th>वैकल्पिक संमरेखण सं01</th><th>वैकल्पिक संमरेखण सं02</th><th>वैकल्पिक संमरेखण सं03</th></tr>
<tr><td>वृक्ष</td><td>1085</td><td>1205</td><td>1136</td></tr>
<tr><td>वन भूमि का क्षेत्र</td><td>7.225</td><td>7.502</td><td>7.900</td></tr>
<tr><td>तकनीकी पहलू</td><td>उपयुक्त नहीं</td><td>उपयुक्त नहीं</td><td>उपयुक्त नहीं</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>पूर्व में FRA Certificate पर क्षेत्रफल के Correection के बावत लेख किया गया था, जिसके जवाब में राज्य सरकार द्वारा area Correection तो किया गया परन्तु उसे verify नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार FRA Certificate मे Corrected क्षेत्रफल को verify कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।</td><td>FRA Certificate पर क्षेत्रफल को प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा verify कर लिया गया है।</td></tr>
</table>

6	राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के ई0डी0एस0 का उत्तर तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1–20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण ई0डी0एस0 का उत्तर समय से दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अवनत आरक्षित भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ई0डी0एस0 का उत्तर प्रेषित किया गया। प्रस्तावित कार्यक्षेत्र उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मार्गदर्शी के पैरा 1–20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं।

भवदीय,

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

पत्रांक 108 / दिनांकित।

1. प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।